Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 1, January-2021, ISSN 2230-7540

अध्यापक – शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राज्य सरकार की भूमिका

Dr. S. K. Mahto*

Principal, Thakur Durgpal Singh Memorial B.Ed. College, RRBM University, Alwar, Rajasthan

सारांश - *शिक्षा मानव विकास का एक मूल साधन है। यदि किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो शिक्षा उसके लिए अति आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करके उसे प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के योग्य बनाती है। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसके प्रत्येक अनुभव से व्यक्ति में स्वयं के बारे में तथा अपने वातावरण के बारे में सूझ-बूझ विकसित होती है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने में उसकी अच्छी शिक्षा ही उसका साथ देती है। ठीक उसी प्रकार एक अध्यापक बनने के लिए उसकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा शिक्षण प्रभावशीलता को विकसित करने के लिए अध्यापक को भी शिक्षा की आवश्यकता है। अध्यापक शिक्षा को आवश्यक सेवागत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए तथा गुणवता सम्बन्धी मानदण्डों को प्रस्तुत करते हुए उचित नियन्त्रण व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उच्च स्तरीय अभिकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिनके अभाव में उचित दायित्वबोध का विकास और सेवा सन्तुष्टि की उपलब्धि संभव नहीं हो पाती। इस दायित्व को निभाने के लिए देश में महत्वपूर्ण अभिकरण उच्च शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर कार्यरत है। सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर जो अध्यापक शिक्षा के लिए अभिकरण कार्यशील है उनमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का (NCTE) का नाम अग्रणी है। इस परिषद का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में हैं और उत्तर भारत का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में था जो इन दिनों दिल्ली में कार्यरत है। अध्यापक शिक्षा का विस्तृत पाठयक्रम तो NCTE ने तैयार किया है जबकि यही पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर दो वर्ष में पूरा होता है और माध्यमिक स्तर पर 180 दिनों में। इस बात को देखते हुए बी.एड. पाठ्यक्रम की पूर्णता व सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। शिक्षक तैयार करने का कार्य अधिकांश स्तर पर निजी संस्थाएँ ही कर रही है, जिनका शिक्षा से दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। उनका उद्देश केवल धन कमाना है। अगर हम वास्तव में ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार चाहते हैं तो आवश्यकता है वास्तविक परिवर्तन की। कार्य व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक पक्षों को लेकर हो। शिक्षकों में उन सभी गुणों का विकास करें। जिसके माध्यम से एक एक प्रशिक्षणार्थी कुशल अध्यापक बन सके।*

कुंजी शब्द - *अध्यापक-शिक्षा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राज्य सरकार की भूमिका*

----------X----------

भूमिका

शिक्षा मानव विकास का एक मूल साधन है। यदि किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो शिक्षा उसके लिए अति आवश्यक है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं विकास तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा ही उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाती है। शिक्षा एक व्यक्ति को सरलता से अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करती है। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार "शिक्षा वह है जिसकी सहायता से चरित्र का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढती है, बुद्धि का विस्तार होता है ओर जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है।" शिक्षा व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करके उसे प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के योग्य बनाती है। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसके प्रत्येक अनुभव से व्यक्ति में स्वयं के बारे में तथा अपने वातावरण के बारे में सूझ-बूझ विकसित होती है।

जिस प्रकार एक विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने में उसकी अच्छी शिक्षा ही उसका साथ देती है। ठीक उसी प्रकार एक अध्यापक बनने के लिए उसकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार

www.ignited.in

तथा शिक्षण प्रभावशीलता को विकसित करने के लिए अध्यापक को भी शिक्षा की आवश्यकता है। प्रोफेसर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार "विभिन्न शिक्षा केन्द्रों में सुधार की आवश्यकता है और इस उद्देश्य हेतु 'अध्यापक शिक्षा' एक बेहतर शब्द है क्योंकि यह अध्यापक निर्माण सम्बन्धित क्षेत्र को विस्तृत बनाती है।"

अध्यापक शिक्षा को आवश्यक सेवागत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए तथा गुणवता सम्बन्धी मानदण्डों को प्रस्तुत करते हुए उचित नियन्त्रण व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उच्च स्तरीय अभिकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिनके अभाव में उचित दायित्वबोध का विकास और सेवा सन्तुष्टि की उपलब्धि संभव नहीं हो पाती। इस दायित्व को निभाने के लिए देश में महत्वपूर्ण अभिकरण उच्च शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर कार्यरत है। सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर जो अध्यापक शिक्षा के लिए अभिकरण कार्यशील है उनमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का (NCTE) का नाम अग्रणी है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा राज्य सरकार के साथ मिलकर इस दायित्व का पूरा करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् काफी दिनों तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए भी मुख्यालय के रूप में कार्य करती रही और बाद में जब इसे वैधानिक दर्जा मिला तो यह संस्था अलग कार्यालय में कार्य करने लगी।

कोठारी आयोग (1964-66) के द्वारा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समुचित मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ओर से मई, 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। उस समय इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की सहायता से ही गठित करने के लिए प्रयत्न किया गया। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अध्यपाक शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं और विभिन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए इस परिषद को महत्वपूर्ण समझा गया। 1993 में यह एक्ट तैयार किया गया तथा बाद में 17 अगस्त, 1995 में एक विधेयक के माध्यम से इस परिषद को वैधानिक दर्जा दिया गया और N.C.E.R.T. (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के समान ही स्वायत्तशासी होने का अधिकार मिल गया।

भारत में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी स्थापना की थी और इसके अकादमिक सचिवालय के रूप में N.C.E.R.T. का शिक्षक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग कार्यरत है। इसका मुख्य कार्य व उद्देश्य देश की अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित रहा है। राज्यों में अध्यापक शिक्षा की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए यह परिषद कार्य करती है। परिषद के विभिन्न पहलूओं को देखते हुए प्राथमिक अध्यापक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। यह परिषद भारत सरकार और सभी सरकारों को "अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी" सभी विषयों पर सलाह देती है। अध्यापक शिक्षा में मानक कायम रखने का कार्य भी यह परिषद करती है। इसके साथ ही अध्यापक शिक्षा में पर्याप्त मानक आश्वसत करने सम्बन्धी नियोजन एवं योजनाओं की प्रगति की भी यह समीक्षा करती है। इस परिषद में चार प्रमुख अकादमिक समितियाँ हैं:-

1. संचालन समिति।
2. स्कूल पूर्व और प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा समिति।
3. माध्यमिक और कॉलेज अध्यापक शिक्षा समिति।
4. शारीरिक रूप से विकलांगों और मानसिक रूप से अवरूद्धों के लिए विशेष स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु समिति।

यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का प्रमुख अंग है। "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद" की स्थापना पूरे देश के अध्यापक शिक्षा पद्धति के नियोजित एवं समन्वित विकास को प्राप्त करने तथा अध्यापक शिक्षण में सिद्धान्तों ओर मानदण्डों के नियमन एवं उनके समुचित रखरखाव के उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की बैंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में चार क्षेत्रिय समितियाँ है।

इस परिषद का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में हैं और उत्तर भारत का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में था जो इन दिनों दिल्ली में कार्यरत है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) के महत्वपूर्ण कार्य निम्न है:-

1. अध्यापक शिक्षा के विविध क्षेत्रों से सम्बन्धित अध्ययन और सर्वेक्षण कार्य को करते हुए प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करना।
2. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजना और कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार

www.ignited.in

एवं यू.जी.सी. आदि संस्थाओं को अपनी संस्तुतियाँ अग्रसित करते हुए सहायता प्रदान करना।

3. शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित करना।

4. अध्यापक शिक्षा के कार्य क्षेत्र की योजनाओं में परामर्श देना।

5. अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम, प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हताएँ, चयन प्राविधि, पाठ्यक्रम विस्तार आदि मानकों को निर्धारित करना।

6. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना।

7. किसी नवीन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए संस्थाओं के लिए दिशा निर्देशन प्रस्तुत करना।

8. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान के द्वारा शिक्षण और अन्य शुल्कों के लिए जाने के बारे में ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करना।

9. नवाचार और शोध कार्य को प्रोत्साहित करना और संचालित करना जो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सम्बन्धित हो।

10. सम्पूर्ण राष्ट्र में अध्यापक शिक्षा के विकास का प्रसार करना।

11. शिक्षकों की नियुक्ति, टयूशन फीस आदि के सम्बन्ध में मार्ग निर्देशित करना।

12. केन्द्र सरकार के द्वारा इस प्रकार के जो भी कार्य प्रदान किये जायें उनका निष्पादन करना आदि।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) कमियाँ:-

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को 1993 में सवैंधानिक दर्जा देकर अध्यापक शिक्षा को एक नई दिशा एवं गरिमा प्रदान की गई है फिर भी अनेक अनियमितताओं एवं भष्टाचार के आज के इस परिप्रेक्ष्य के चलते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपनी इन कमियों को पूरी नहीं कर पा रहा है। ये कमियाँ निम्न है:-

1. अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असफल रहा।

2. अध्यापक शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु नए बी.एड. कॉलेजों के मान्यता देने के बाद भी अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में असफल रहा।

3. अनियमित सत्र को व्यवस्थित करने में असफल रहा।

4. उन्नत शिक्षण तकनीकों एवं पाठ्यक्रमों को विकसित करने में असमर्थ रहा।

5. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों कॉलेज के अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ सदस्यों की सेवा शर्तों को व्यवस्थित करने में असमर्थ रहा।

6. उन्नत शिक्षा तकनीकों एवं पाठ्क्रम को विकसित करने में असमर्थ रहा।

7. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के स्टाफ सदस्यों को आवासीय सुविधा हेतु व्यवस्था करने में असमर्थ रहा।

8. समपूर्ण भारत में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की एकरूपता लाने में असमर्थ।

9. मांग एवं पूर्ति (Demand and Supply) में संतुलन सथापित करने में असमर्थ।

अध्यापक शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका:-

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (R.B.S.E.)

2. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (S.I.E.R.T.)

3. उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (I.A.S.E.)

4. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (C.T.E.)

5. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (D.I.E.T.)

अध्यापक शिक्षा को नए आयाम राज्य सरकार द्वारा ही प्रदान किये जाते है। अध्यापक शिक्षा में जो ज्ञान भावी अध्यापकों को दिया जाता है उसका उपयोग करने का मौका राज्य सरकार देती है और उसी प्रक्रिया से हमारा समाज व देश विकास करेगा। क्योंकि आज जो बच्चे हैं वही कल बढ़े होगे। इस स्थिति में उन बच्चों को पढाने वाले अध्यापकों की शिक्षा में ध्यान देना आवश्यक है। राज्य सरकार पिछले वर्षो में हजारों की तादाद में शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है जो कि

देश व राज्य के विकास का महत्वपूर्ण कदम है। इससे विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पडता है और हमारे देश के नवयुवकों को प्रेरणा मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो नवयुवक निराश हो जाते। विद्यालयों को उपयुक्त भौतिक सामग्रियों की जानकारी देना तथा इसे लागू करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

राज्य सरकार का यह दायित्व है कि अध्यापक शिक्षा को बढावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये। शिक्षण का कार्य भी सफल होगा जब उचित साधन एवं सामग्री हो। यह कार्य भी राज्य सरकार का ही है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जैसे- बी.एड., एस.सी.सी. आदि को चलाने को चलाने वाले शिक्षक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है और सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा अन्य पक्ष की ओर नजर डालें तो जिस अनुपात में राज्य सरकार नौकरियाँ दे रही है उससे कहीं ज्यादा अनुपात में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को मान्यता देकर प्रशिक्षित बेराजेगारी को भी बढाया दिया है। राजस्थान में लगभग प्रतिवर्ष 85000 स्नातक प्रशिक्षित एवं 20000 प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक तैयार होकर निकल रहे है। इन सभी को तो प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देना प्रतिवर्ष संभव नही है तो फिर इनका भविष्य क्या होगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। राज्य में अच्छे स्तर पर योग्य अध्यापक तैयार करना तथा अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता को बढावा देने का कार्य राज्य सरकार का है।

समीक्षा

अध्यापक शिक्षा में अनेक तत्व समाहित होते है जैसे अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, संस्थाएँ, संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक, अध्यापक शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी और इनके निकलने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों के चिन्तन एवं व्यवहार में होने वाला ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक परिवर्तन। इनमें सबसे प्रमुख प्रशिक्षित शिक्षक ही है। फिर भी इन शिक्षकों में प्रशिक्षण के पश्चात भी शिक्षा और शिक्षण के प्रति अर्न्तदृष्टि व दूरदृष्टि विकसित नहीं हो पा रही है। एक तरफ तो शिक्षा का सार्वभौमीकरण हो रहा है। जिससे कई संस्थाओं में बी.एड. महाविद्यालय खुल गये है तथा दूसरी तरफ बेराजगार शिक्षकों की भारी भीड़ बढ़ रही है। बी.एड. प्रवेश के मायने ही बदल रहे है। आये दिन समाचार पत्रों में बी.एड. में प्रवेश लें बिना प्रवेश परीक्षा के तथा सशर्त 60 प्रतिशत प्राप्तांक ले बिना किसी उपस्थिति के केवल अर्हता परीक्षा में 40 प्रतिशत पर प्रवेश, पहले आओ पहले पाओ इत्यादि। इस तरह ना तो NCTE का ध्यान है और ना ही राज्य सरकार का।

अध्यापक शिक्षा का विस्तृत पाठयक्रम तो छब्ज्म्ने तैयार किया है जबकि यही पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर दो वर्ष में पूरा होता है और माध्यमिक स्तर पर 180 दिनों में। इस बात को देखते हुए बी.एड. पाठ्यक्रम की पूर्णता व सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। शिक्षक तैयार करने का कार्य अधिकांश स्तर पर निजी संस्थाएँ ही कर रही है, जिनका शिक्षा से दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। उनका उद्देश केवल धन कमाना है। अगर हम वास्तव में ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार चाहते हैं तो आवश्यकता है वास्तविक परिवर्तन की। कार्य व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक पक्षों को लेकर हो। शिक्षकों में उन सभी गुणों का विकास करें। जिसके माध्यम से एक एक प्रशिक्षणार्थी कुशल अध्यापक बन सके।

सुझाव

वर्तमान की आवश्यक शिक्षा को देखते हुए उसमें सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रीय अभिकरण जो आवश्यक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य रहे है उनको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। छब्ज्म्एवं राज्य सरकार को भी अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जिसके निम्न सुझाव दिये जाते है:-

1. अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना।
2. नियमानुसार अध्यापक शिक्षा के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले ही महाविद्यालयों को ही अनुमति प्रदान की जाए।
3. अनियमित सत्र को व्यवस्थित किया जाए।
4. बी.एड. पाठ्यक्रम एक वर्ष का न होकर दो वर्ष का कर दिया जाए।
5. उन्नत शिक्षण तकनीकों व विधियों से शिक्षा दी जाए।
6. नवीन पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाए।
7. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों व अन्य स्टाफ सदस्यों की सेवा शर्तों का भी एक व्यवस्थित प्रारूप तैयार कर उस पर अमल किया जाये।
8. स्टाफ सदस्यों को आवासीय सुविधाओं तथा अन्य सुविधाएँ मुहैया करवाई जाए।

www.ignited.in

9. सम्पूर्ण भारत में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एकरूपता लाई जावे।

10. जितनी अध्यापक शिक्षा की मांग है उसी के अनुसार में अध्याक शिक्षा केन्द्र खोले जायें।

संदर्भ सूची:

1. भट्टाचार्य, जी.सी. - अध्यापक शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

2. शुक्ल रमाशंकर - शिक्षक शिक्षा (दशा एवं दिशा) - अक्षत प्रकाशन, उदयपुर, राजस्थान।

3. गौड, के. सी. एवं बिजेन्द्र - शैक्षिक प्रबन्ध एवं विद्यालय संगठन, अरिहन्त प्रकाशन, जयपुर।

4. बानो, सरताज काजी - विद्यार्थी और शिक्षकों की गणुवत्ता वृद्धि की दिशा में प्रयत्न, भारतीय आधुनिक शिक्षा, अप्रेल 2002

5. भवालकर, स्मिता - शैक्षिक समस्याएँ एवं सुधार एक विश्लेषण, भारतीय आधुनिक शिक्षा, अक्टुबर 2002

6. पत्र एवं पत्रिकाएँ।

7. इंटरनेट, जर्नल्स आदि।

Corresponding Author

Dr. S. K. Mahto*

Principal, Thakur Durgpal Singh Memorial B.Ed. College, RRBM University, Alwar, Rajasthan